न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

मुस0 कोशिल्या बाई धर्मपत्नी राम लाल निवासी ग्राम धर्मोरि तह0 बान्धव गढ जिला शहडोल .... अपीलांट

व नाम

म0 प्र0 शासन .... रेस्पा0

अपील विरुद्ध आज्ञा श्री अपर कमिश्नर रीवा संभाग दिनांक 30.3.94 बाबद प्रकरण क्रमांक 358/93-94.

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न हैं :-

1-: यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

2-: यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5, 14 परिसी. अधिनियम के तहत आवेदन कर अपर कलेक्टर के न्यायालय में हुये तहजावमा पूर्ण विलम्ब को माफ किये जाने बाबद सहायिता चाही गई थी, व अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी अंदर म्याद प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिये अपर कलेक्टर के यहां प्रस्तुत निगरानी यदि अन्दर म्याद थी, तो एक- एक दिन का स्पष्टी करण देना कानूनन आवश्यक नहीं था, और अपर कलेक्टर - के आदेश के बाद अपी0 द्वारा एक- एक दिन का स्पष्टी करण दिया गया है, परन्तु मनमानी गलत उपधारणा कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

3-: यह कि विलम्ब क्षमा हेतु अपी0 ने धारा 5, 14 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क0 निग0 538/94 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 358/93–94 में पारित आदेश दिनांक 30.3.94 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम घगोखर की शासकीय आराजी ख0 न0 644/1 रकवा 0.405 है0 में देवालय एवं मेला ग्राउन्ड अंकित है। उसी भूमि से संलग्न ख0 न0 642/1 रकवा 1.603, 643 रकवा 0.21 646 रकवा 0.380 है0 । नायव तहसीलदार ने अपने आदेश में लिखा है कि जिसकी आवश्यकता मेला के लिय भविष्य में पड़ सकती है। इसी भूमि की शिकायत भी नायव तहसीलदार को प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि जनता के निस्तार हेतु सुरक्षित खसरा खाना 12 में अंकित किये जाने के आदेश दिये थे। साथ ही उक्त खसरा नमबरान के अति कामकों के विरूद्व धारा 248 के तहत तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अवधि के बाहर होने के कारण निरस्त की गई। इससे दुखी होकर आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर जिला शहडोल के न्यायालय में स्व0 निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.1.94 को दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित बताते हुये निगरानी निरस्त की गई। इससे दुखी होकर आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहां	

निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में दिनांक 30.3.94 के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक अवधि का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वरन् तथ्य को छुपाया गया है। अपील कालसीमा बाह्य होकर खारिज की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदिका द्वारा धारा 5, 14 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन कर अपर कलेक्टर के न्यायालय में हुये सद्भावना पूर्ण विलंब को माफ किये जाने बावत सहायता चाही गई थी। उनके द्वारा अपर कलेक्टर के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और अपर कलेक्टर * के आदेश के बाद अपीलार्थी द्वारा एक—एक दिन का स्पष्टी करण दिया गया है परंतु मनमानी गलत उपधारणा कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

4—अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है कि जो उनके द्वारा अपील मेमों में उल्लेख किया गया है, उनका मुख्य रूप से अवधि विधाना धारा—5 परिसीमा अधिनियम 1963 के आवेदन पर जो दिया गया है कि अपर कलेक्टर के यहा समय सीमा में ही स्व0 निगरानी प्रस्तुत की गई थी।

5— मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के के प्रकरणों का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार मानपुर के आदेश दिनांक 21.8.91 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयावधि वाह्य होने के कारण खारिज किया गया है। समय अवधि के अंतर्गत अपील न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है ।

अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश प्रथम अपीलीय न्यायालय है संहिता की धारा–46 टिप्पणी "इ" में प्रावधान दिया गया है कि " जब अपील या पुर्नविलोकन कालसीमा की वाधा के कारण निरस्त होगा । ऐसा आदेश प्रथम या द्वितीय अपील में दिया गया है तब वह धारा 44 (2) के अंतर्गत अपील योग्य होगा। एसी ही व्यवस्था संहिता की धारा 47 की टिप्पणी "उ" में स्पष्ट रूप से दी गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं । अतः वैसे भी तृतीय अपील का प्रावधान नहीं हैं। अतः निगरानी में मान्य करते हुये आदेश पारित किया जा रहा है। अतः निगरानी/~~अपील~~ निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य